तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
04/3/25	आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादी का वाद डिक्री हो चुका है। नक्शा फर्द डिक्री अमीन का कमिशन की रिपोर्ट पेश हुई है। अमीन अनुसार वाकेयात के साथ निशानदेही नक्शा बनाया गया। पत्रावली निष्पादन हो कर दर्ज किया हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अमीन [illegible] पत्रावली रहे। [signature] सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०) [illegible] (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :— सुरेश कुमार बलाई

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
438/2020	28.10.2020	04.03.2025

बउनवान

1. बुधराम पुत्र रणजीत
2. बालादेवी पत्नी रणजीत
3. विधा देवी पत्नी रणजीत
4. मनीषा पुत्री रणजीत
5. रामचन्द्र पुत्र भोलूराम (फोत)

5/1 सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामचन्द्र
5/2 नरेश कुमार पुत्र रामचन्द्र
5/3 विक्रम सिंह पुत्र रामचन्द्र
5/4 भुतेरी देवी बेवा रामचन्द्र

6. कमला पत्नी जगमाल
7. मनोज पुत्र जगमाल
8. राजकुमार पुत्र जगमाल
9. सुशीला पुत्री जगमाल
10. मंजू पुत्री जगमाल समस्त जाति जाट निवासी सोडावास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

—: वादीगण

बनाम

1. जगराम पुत्र गंगासहाय
2. शीशराम पुत्र गंगासहाय
3. पोपसिंह पुत्र गंगासहाय
4. बिरमा बेवा श्योचन्द
5. लीलाराम पुत्र श्योचन्द
6. विक्रम पुत्र श्योचन्द
7. सावत्री पुत्री श्योचन्द
8. सुगनी देवी पुत्री श्योचन्द
9. राजबाला पुत्री श्योचन्द
10. बोदनी बेवा प्रहलाद
11. सत्यवीर पुत्र प्रहलाद
12. मुकेश पुत्र प्रहलाद
13. सुखराम पुत्र बोदन
14. कमला बेवा सुबेसिंह
15. प्रीतम पुत्र सुबेसिंह
16. मंजू पुत्री सुबेसिंह

सुरे

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

17. खामोस पुत्री सुबेसिंह
18. रीना पुत्री सुबेसिंह
19. सुनीता पुत्री सुबेसिंह जाति जाट निवासी सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
20. अमर सिंह पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर।
21. राज0 सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर।

—: प्रतिवादीगण

दावा
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री धर्मवीर बडसीवाल :— वादीगण अधिवक्ता

वादीगण के वाद का सार निम्न प्रकार से है कि :—

1. यह है कि आराजी खाता संख्या 7 में वर्णित हाल खसरा नम्बर 369/0.17 है0 370/0.08, 373/0.08, 374/0.26, 375/0.26 व खाता संख्या 8 में खसरा नम्बर 712/0.15, 713/0.13, 714/0.14, 715/0.13, 716/0.13, 723/0.13, 725/0.26, खाता संख्या 9 में खसरा नम्बर 1155/0.48, 1156/0.133, 1157/0.14, 1158/0.14, 1159/0.24, 1160/0.17, 1161/0.20, 1162/0.30, 1163/0.30, 1165/0.23 व खाता संख्या 12 में खसरा नम्बर 387/0.20, 390/0.21, 391/0.34, 399/0.34, 400/0.09, 403/0.09, 404/0.06, 406/0.13, खाता संख्या 15 में 1170/0.25, 1173/0.33, 1174/0.33, खाता 16 में 1175/0.32, 1176/0.23, 1177/0.08, 1178/0.08, 1179/0.08, 1180/0.08, खाता नम्बर 17 में 1169/0.18, 1171/0.29, 1172/0.27, खाता संख्या 20 में 1164/0.48, 1166/0.15, खाता संख्या 337 में 1042/0.25, 1043/0.11, 1044/0.11, 1047/0.10, 1048/0.10, 1049/0.06, 1050/0.08, 1053/0.10, 1054/0.10, 1055/0.04, 1056/0.04, 1061/0.08, 1062/0.06, 1063/0.02 है0 वाके ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 में स्थित है। जो आराजी इस वाद में विवादित आराजी कहलावेगी।
2. यह है कि हाल खसरा नम्बर 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375 साबिक खसरा 211, से हाल खसरा नम्बर 387, 390, 391 साबिक खसरा नम्बर 213 से हाल खसरा 399, 400, 403, 404, 406 साबिक खसरा नम्बर 223 से हाल खसरा नम्बर 712, 713, 714, 715, 716, 723 साबिक खसरा नम्बर 339, 307, 239 से हाल 724, 725 साबिक खसरा नम्बर 238 से हाल 1061, 1062, 1063 साबिक 478 से हाल 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1157, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180 साबिक खसरा नम्बर 518 से सेटिलमेन्ट के दौरान भू0 प्रबन्ध विभाग द्वारा पैमूद किये गये है।
3. यह है कि साबिक आराजी मिन वादीगण वो प्रतिवादीगन के कब्जा काश्त एवं खातेदारी की आराजी रही है। जिसमें मिन वादीगन के पूर्वजो का खातेदारी का हिस्सा कब्जा काश्त था और राजस्व रिकोर्डस में उनके नाम का अंकन रहा है जो मिन प्रकार है :—

सुई
(फा0ट्रे0)

सबिक खाता संख्या 63 रकबा 23 बीधा 3 बिस्वा में 1/2 दर 1/16 बैल अर्थात 1/32 भाग
सबिक खाता संख्या 64 रकबा 16 बीधा 14 बिस्वा में 1.5 बैल अर्थात 3/16 भाग
सबिक खाता संख्या 65 रकबा 21 बीधा 12 बिस्वा मं 1.5 बैल अर्थात 3/16 भाग

4. यह है कि पक्षकारान के खानदान का शजरा निम्न प्रकार है :-

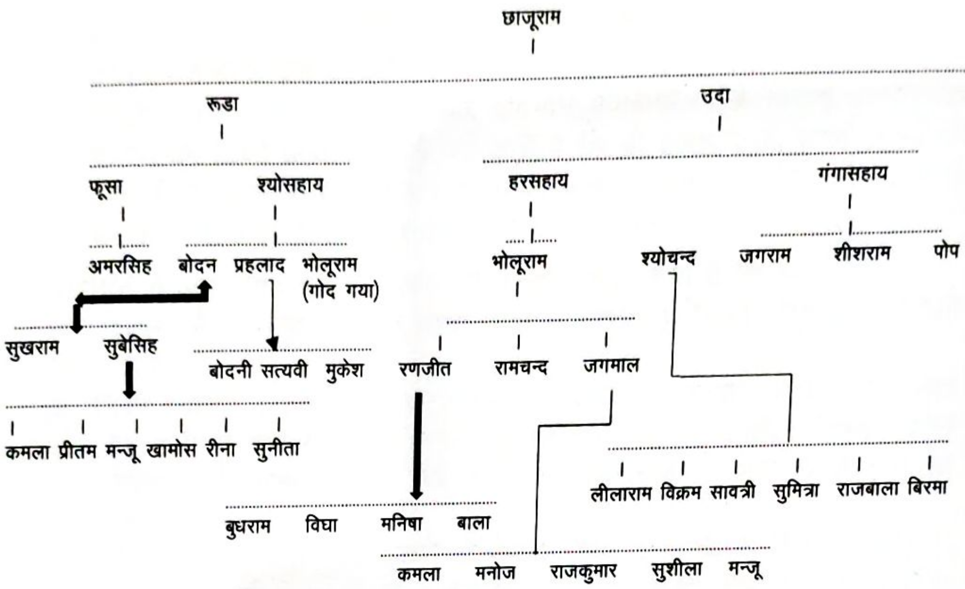

5. यह है कि वादीगण मृतक हरसहाय पुत्र उदा, भौलू पुत्र हरसहाय के वारिसान है जिन्हे विवादित आराजी मुतकगन की वीरासत से प्राप्त हुई है जिनके नाम साबिक राजस्व रिकोर्डस में अमल हो रहा है।
6. यह है कि विवादित आराजी की बाबत जमाबन्दी 2021 से 2024 के बाद सेटिलमेन्ट के दौरान सेटिलमेन्ट विभाग के कर्मचारिगण व अधिकारीगण ने जमाबन्दी 2029 पैमूद करते समय वादीगन के दादा व पिता हरसहाय भोलूराम के नाम का अंकन जमाबन्दी 2029 में नही किया हजफ कर दिया और प्रतिवादीगण के पूर्वज पूसा श्योसहाय व गंगासहाय के नाम का ही अंकन किया गया जो कि पूर्व में रिकोर्डस आफ राईटस व मौका की कब्जा काश्त के विपरित है और हकुक वादीगन के विरूद्ध नल एण्ड वाईड होने के कारन हर सूरत में काबिज दुरूस्ती है।
7. यह है कि वादीगन विवादित आराजी के अपने हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार है व मौका पर अपने हिस्से की आराजी पर काबिज है। वादीगन के नाम का अमल नही होने के कारन वादीगन के हकूको पर कुठाराघात होता है इसलिये वादीगन स्वयं को मुताबिक जिमन नम्बर 3 हिस्से के खातेदार करार दिलाने व इसी कदर हाल जमाबन्दी में अपने नाम का अमल कराने के अधिकारी है।
8. यह है कि वादीगन आराजी के काबिज खातेदार काश्तकार है मौका पर वास्तविक कब्जा है हकूक वादीगन कानूनन रक्षित है अतः अपने हुकूको की रक्षार्थ वाद प्रस्तुत करना लाजिम आया है।
9. यह है कि वादीगन के पूर्वज विवादित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 राजय होने के दिन विवादित

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

आराजी पर काबिज थे और उनके नाम राजस्व रिकोर्डस में अमल रहा है। विवादित आराजी वादीगन को अपने पूर्वजो से वीरासत में मिली है। जिसमें वादीगन को हकूक खातेदारी हासिल है।

10. यह है कि दिनांक 04.08.2015 को प्रतिवादीगन ने वादीगन के कब्जा काश्त में मजाहमत पैदा की तथा तन्हा अपने नाम का अमल होना जाहिर करते हुए वादीगन को बेदखल करने कब्जा करने व मुन्तकिल करने की धमकी दी जिस पर पटवारी हल्का से नकुलात प्राप्त की जो इस गलत अमल का ज्ञान हुआ है प्रतिवादीगन अजखुद इन्द्राज दुरूस्त करने को तैयार नही है इसलिए वादीगन को वर्तमान वाद प्रस्तुत करना लाजिम आया है और वादीगन प्रतिवादीगन के विरूद्ध हुक्मइतनाइ दवामी की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है कि वो वादीगन को उनके हिस्से की आराजी से जब्रन बेदखल न करे ना कब्जा काश्त में मजाहमत पैदा करे ना किसी भी भाग को कही दीगर जगह रहन बय से मुन्तकिल करे।

वादीगन ने अपने वाद पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि :–

अतः प्रार्थना है कि वाद वादीगन बहक वादीगन विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार डिक्री किया जावें।

(अ) डिक्री इजराय इश्तकरारहक बहक वादीगन पारित की जाकर घोषित किया जावे कि वादीगन आराजी खसरा नम्बर वर्णित जिमन नम्बर 1 मुताबिक हिस्सा जिमन नम्बर 3 के खातेदार है व इसी कदर हाल जमाबन्दी में वादीगन के नाम का अमल कराया जावें।

(ब) प्रतिवादी को हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जावे कि वो विवादित आराजी से वादीगन को उनके हिस्से से बेदखल न करे ना काश्त कार्य में मजाहमत पैदा करे ना आराजी के किसी भाग को कही दीगर जगह रहन बय हिबा वसीयत लीज आदि से मुन्तकिल करे।

(स) हरजा खर्चा मुकदमा का प्रति0 से दिलाया जावें।

(द) अन्य सहायता अता फरमाई जावें। कृपा होगी।

वादीगन के वाद को दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण की विधिवित रूप से तामिल करवाई गई। विधिवत रूप से तामिल होने के बाद प्रतिवादीगण 01 लगायत 20 उपस्थित नही होने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। पैरोकार सरकार ने जबाव प्रस्तुत नही किया गया।

वादीगन ने अपने वाद के समर्थन में प्रदर्श–1 मिलान क्षेत्रफल 2029 किता 6, प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत 2014–17 किता 7, प्रदर्श–3 नकल जमाबन्दी सम्वत 2021–24, प्रदर्श–4 नकल जमाबन्दी सम्वत 2069–72 किता 12 पेश की।

वादीगण अधिवक्ता ने वादीगन के वाद के समर्थन में लिखित बहस पेश की जो निम्न इस प्रकार है कि :–

1. यह है कि वादीगन ने जो वर्तमान वाद आराजी स्थित ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर की बाबत प्रस्तुत किया है वो आराजी के साबिक खसरा नम्बरान वो हाल खसरा नम्बरान मुताबिक नकल मीलान क्षेत्रफल बखुबी आयद वो सबित होते है।

सुर

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

2. यह है कि वाद में वर्णित आराजी वादीगन के पूर्वजो व प्रतिवादीगण के पूर्वजो की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी रही है। और उनका इन्द्राज साबिक राजस्व रिकोर्डस जमाबन्दी सम्वत 2021 से 2024 में हो रहा है। जो हरसहाय पुत्र उदा व भोलू पुत्र हरसहाय है और उनके वादिगन वारिसान है जो शजरा पेश किया गया है उससे साबिक होता है।
3. यह है कि उपरोक्त आराजी की बाबत जब सेटिलमेन्ट हुआ तो सेटिलमेन्ट विभाग के कर्मचारीगण तथा अधिकारीगण ने जमाबन्दी 2029 पैमुद करते समय हरसहाय व भोलू का नाम हजफ कर दिया ओर प्रतिवादीगन के बुर्जगान फूसा श्योसहाय व गंगासहाय का ही अंकन किया, सेटिलमेन्ट विभाग के कर्मचारियो को अधिकारीगन को पूर्व के रिकोर्डस के अंकन को कलमजन करने का व मनमाने तरीके से बिना किसी अधिकार के परिवर्तन करने का कानूनन कोई अधिकार हासिल नही या जब पूर्व जमाबन्दी 2024 से हरसहाय व भोलू के नाम का अंकन था तो जमाबन्दी 2029 में भी उनके नाम के अंकन को दौहराया जाना चाहिये था मगर बिना किसी अधिकार के बिना किसी दस्तावेज व बिना मौका कब्जा अधिकार के बिना किसी दस्तावेज व बिना मौका कब्जा का जॉच किये उनका नाम हजफ किया गया है जो गलत है।
4. यह है कि जब वादीगन को इस गलत अंकन का ज्ञान हुआ तो समस्त राजस्व रिकोर्डस की नकले एकत्रित कर न्यायालय श्रीमान के समक्ष वाद प्रस्तुत किया है।
5. यह है कि वादीगन के पूर्वज हरसहाय भोलू विवादित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान बिस्वेदारी उनमूलन अधिनियम 1959 के रायज होने के दिन काबिज थे और साबिक रिकोर्डस में उनके नाम का अंकन रहा। अपने जीवनकाल में अपने हिस्से पर काबिज थे और उनकी मृत्यु के बाद वादीगन लगातार वो शान्तिपूर्वक काबिज आ रहे है मौका पर वादीगन का वास्तविक कब्जा है।
6. यह है कि वादीगन ने अपना वाद दस्तावेजी वो मौखिक साक्ष्य से बखुबी साबित किया है तथा मौका के कब्जा काश्त से भी वादीगन का केस पूर्ण तथा आयदा वो साबित होता है।
7. यह है कि वादीगन द्वारा प्रस्तुत करने के बाद और प्रतिवादीगन की तामिल (सूचना) होने के बाद भी प्रतिवादीगन न्यायालय में उपस्थित नही आऐ और उन्होने वादीगन के वाद का कोई विरोध नही किया ना ही कोई जबाव दावा प्रस्तुत किया और ना ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत की। जिससे यही नतीजा निकलता है कि वादीगन का वद सही है और वादीगन आराजी के अपने हिस्से के काबिज खातेदान काश्तकार है।
8. यह है कि राजस्व रिकोर्डस में प्रतिवादीगन के नाम गलत अंकन होने के कारन वादीगन के हितो पर कुठाराधात होता है इसलिये वादीगन अपने नाम अपने हिस्से का अमल कराने के अधिकारी है।
8. यह है कि वादीगन ने जो साबिक रिकोर्डस की व हाल रिर्कोडस की नकले पेश की है वो सही और वाद के न्यायिक निस्तारण हेतु सहायक है। वादीगन मौका पर भी अपने हिस्से पर बिना किसी रोक टोक के काबिज है।
9. यह है कि वादीगन का वाद दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना है कि वाद वादीगन डिक्री फरमाया जावे।

सही/-

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

दौराने बहस वादीगण अधिवक्ता ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियत 14 एवं सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी को प्रस्तुत किया गया। बहस के दौरान यह निवेदन किया गया कि वर्तमान समय में विवादित आराजी का पुनः सैटलमेन्ट हो चुका है। वाद के अंकित नम्बर के स्थान पर हाल खसरा नम्बर 470, 473, 474, 484, 485, 488, 489, 491, 849, 850, 851, 852, 853, 861, 862, 863, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376,1377, 1378, 1379, 1380, 1382, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 1381, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1386, 1388, 1389, 1381, 1383, 1321, 1222, 1223, 1226, 1227, 1228, 1229, 1232, 1233, 1234, 1235, 1340, 1241, 1242 वाके ग्राम सोडावास दर्ज करते हुए श्रीमान उचित निर्णय पारित करे।

वादीगण के वाद पत्र व दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता की लिखित बहस पर मनन करने पर विवेचन इस प्रकार है कि पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात प्रदर्श–02 जमाबन्दी सम्वत 2021–2024 में विवादित आराजी के साबिक रिकोर्ड में वादीगन के पूर्वज खातेदार काश्तकार थे परन्तु सैटलमेन्ट विभाग के अधिकारी/कर्मचारियो ने वादीगन के पूर्वजो का नाम हजफ कर दिया गया जो गलत है क्योकि सैटलमेन्ट विभाग के पास ऐसा कोई अधिकार नही था कि पूर्व जमाबन्दी में अंकित खातेदार का नाम हजफ करते हुए नवीन जमाबन्दी तैयार करे। इसलिए वादीगन का वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

निर्णय

उक्त विवेचन के अनुसार वादीगन के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद को स्वीकर किया जाकर है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 470, 473, 474, 484, 485, 488, 489, 491, 849, 850, 851, 852, 853, 861, 862, 863, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376,1377, 1378, 1379, 1380, 1382, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 1381, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1386, 1388, 1389, 1381, 1383, 1321, 1222, 1223, 1226, 1227, 1228, 1229, 1232, 1233, 1234, 1235, 1340, 1241, 1242 वाके ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 पर वादीगण संख्या 01 लगायत 04 को 1/32 सम्भाग, वादीगण संख्या 5/1 लगायत 5/4 को 1/32 सम्भाग व वादीगण संख्या 6 लगायत 10 को 1/32 सम्भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विवादित आराजी में हो रहे अमल दरामद प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 20 का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्तानुसार वादीगण को राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 04.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर वाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार [illegible])
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

आदेश दिनांक 7/4/25 के अनुसार वादी सं0 3 के [illegible] पुत्री, [illegible] आराजी [illegible] के स्थान आराजी 724/0.08, 724/0.13 पढ़ा जावे, आराजी ख0न0 1381 के स्थान पर 1387, 1340 के स्थान पर 1240, 1321 के स्थान पर 1221 पढ़ा जावे व अमल दरामद होवे।

07/04/25
सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई

वाद संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
438/2020	28.10.2020	04.03.2025

बउनवान

1. बुधराम पुत्र रणजीत
2. बालादेवी पत्नी रणजीत
3. विधा देवी पत्नी रणजीत
4. मनीषा पुत्री रणजीत
5. रामचन्द्र पुत्र भोलूराम (फोत)

5/1 सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामचन्द्र
5/2 नरेश कुमार पुत्र रामचन्द्र
5/3 विक्रम सिंह पुत्र रामचन्द्र
5/4 भुतेरी देवी बेवा रामचन्द्र

6. कमला पत्नी जगमाल
7. मनोज पुत्र जगमाल
8. राजकुमार पुत्र जगमाल
9. सुशीला पुत्री जगमाल
10. मंजू पुत्री जगमाल समस्त जाति जाट निवासी सोडावास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

–: वादीगण

बनाम

1. जगराम पुत्र गंगासहाय
2. शीशराम पुत्र गंगासहाय
3. पोपसिंह पुत्र गंगासहाय
4. बिरमा बेवा श्योचन्द
5. लीलाराम पुत्र श्योचन्द
6. विक्रम पुत्र श्योचन्द
7. सावत्री पुत्री श्योचन्द
8. सुगनी देवी पुत्री श्योचन्द
9. राजबाला पुत्री श्योचन्द
10. बोदनी बेवा प्रहलाद
11. सत्यवीर पुत्र प्रहलाद
12. मुकेश पुत्र प्रहलाद
13. सुखराम पुत्र बोदन
14. कमला बेवा सुबेसिंह
15. प्रीतम पुत्र सुबेसिंह
16. मंजू पुत्री सुबेसिंह
17. खामोस पुत्री सुबेसिंह
18. रीना पुत्री सुबेसिंह
19. सुनीता पुत्री सुबेसिंह जाति जाट निवासी सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
20. अमर सिंह पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर।

सु.२

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

21. राज0 सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर।

—: प्रतिवादीगण

दावा
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: अन्तिम पर्चा डिक्री :—

वादी की ओर से **श्री धर्मवीर सिंह बडसीवाल एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 04.03.2025** को **श्री सुरेश कुमार बलाई, सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और डिक्री दी जाती है:–**

आराजी हाल खसरा नम्बर 470, 473, 474, 484, 485, 488, 489, 491, 849, 850, 851, 852, 853, 861, 862, 863, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376,1377, 1378, 1379, 1380, 1382, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 1381, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1386, 1388, 1389, 1381, 1383, 1321, 1222, 1223, 1226, 1227, 1228, 1229, 1232, 1233, 1234, 1235, 1340, 1241, 1242 वाके ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 पर वादीगण संख्या 01 लगायत 04 को 1/32 सम्भाग, वादीगण संख्या 5/1 लगायत 5/4 को 1/32 सम्भाग व वादीगण संख्या 6 लगायत 10 को 1/32 सम्भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विवादित आराजी में हो रहे अमल दरामद प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 20 का नाम कलमजन किया जाकर, उपरोक्तानुसार वादीगण को राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04.03.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सुरे
सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

आदेश दिनांक 07/4/25 के अनुसार वादी नं0 03 के पत्नी के स्थान पर पुत्री, [illegible] नं0 1 में अंकित आराजी ख0नं0 के साथ आराजी ख0नं0 372/0.08, 724/0.13 पढा जावे, आराजी ख0नं0 1381 के स्थान पर 1387, 1340 के स्थान पर 1240, 1321 के स्थान पर 1221 पढा जावे। शेष आदेश यथावत रहेगा।

सुरे
07/04/25
सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)